संख्या-162/2021/845/22-2-2021-17(492)/2021

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 02 सितम्बर, 2021***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कृपा राम पुत्र श्री छोटे लाल, निवासी जनपद-आगरा की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4324/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 11.02.2021, दिनांक 22.02.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी कृपा राम पुत्र श्री छोटे लाल, ग्राम-बमरौली, थाना-फतेहाबाद, जनपद-आगरा का निवासी है। बंदी द्वारा मुकदमेबाजी की रंजिश को लेकर दिनांक 19.10.2002 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचा से गोली मारकर राजवीर नामक व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-67/2003 में भा0द0वि0 की धारा-302, 201 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, विशेष न्यायाधीश, (ई0सी0 एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, आगरा के आदेश दिनांक 19.4.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 17.09.2020 तक 10 वर्ष 05 माह 10 दिन की अपरिहार सजा तथा 13 वर्ष 10 माह 13 दिन की सपरिहार सजा काटी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई से वादी पक्ष व अभियुक्त पक्ष में विवाद की प्रबल संभावना होने, न्यायहित में तथा वादी व समाज की कानून में आस्था बनाये रखने हेतु मा0 न्यायालय के निर्णय के अनुसार बंदी को दी गयी पूरी सजा काटने से पूर्व छोड़ने का कोई औचित्य ने होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट आगरा द्वारा बंदी के समयपूर्व रिहा होने पर दोनों पक्षों में विवाद की प्रबल सम्भावना होने एवं पुन: अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने आदि सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कृपा राम (बन्दी संख्या-17480) पुत्र श्री छोटे लाल, निवासी जनपद-आगरा की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-162/2021/845(1)/22-2-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-आगरा।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in